राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।

क्रमांक :– निदे./प.13/ग्रुप–2/एमनेस्टी/2017–18/1323 दिनांक : 12/01/2018

एमनेस्टी योजना 2017–18 की सूचना

राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 08.01.2018 से खान एवं भूविज्ञान विभाग के बाकीदारो के लिये मूल राशि/ब्याज एवं पेनल्टी में छूट दिये जाने हेतु एमनेस्टी योजना लागू की गई है। योजना की अवधि दिनांक 31.03.2018 तक है एवं इसमें खनन पट्टो की बकाया , आर.सी.सी./ई.आर.सी.सी., ठेकेदारों की बकाया व निर्माण विभाग के ठेकेदारों के विरूद्ध बकाया के प्रकरण शामिल है। योजना का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है तथा विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

1. खनन पट्टों की बकाया:–स्थिरभाटक व रॉयल्टी की दिनांक 31.03.2015 तक की बकाया पर निम्नानुसार छूट है:–

क.सं.	बकाया अवधि	योजना लागू होने की तिथि को देय राशि तथा छूट (प्रतिशत में) :–			
		जमा कराई जाने वाली राशि (प्रतिशत में)		छूट(प्रतिशत में)	
		मूल राशि	ब्याज	मूल राशि	ब्याज राशि
1	2	3	4	5	6
1	31.03.1995 तक	40	–	60	100
2	01.04.1995 से 31.03.2005 तक	60	–	40	100
3	01.04.2005 से 31.03.2010 तक	80	–	20	100
4	01.04.2010 से 31.03.2013 तक	90	–	10	100
5	01.04.2013 से 31.03.2015 तक	100	10	–	90

2. आर.सी.सी./ई.आर.सी.सी. बकाया:–

(i) दिनांक 31.03.2011 की बकाया किश्त इत्यादि पूर्ण जमा कराने पर सम्पूर्ण ब्याज माफ किया जाएगा। दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2015 की बकाया व 25 प्रतिशत ब्याज जमा कराने पर 75 प्रतिशत ब्याज माफ होगा।

(ii) दिनांक 31.03.2005 तक के ऐसे प्रकरण, जिनमें ई.आर.सी.सी. ठेकेदार के द्वारा बिना रवन्ना वाहनों से की गई अधिशुल्क वसूली को विभाग में पूर्ण जमा करा देने पर प्रकरणो को उक्त योजना में निस्तारण किया जावेगा तथा इसी प्रकार दिनांक 01.04.2015 से पूर्व के ऐसे प्रकरण, जिनमे निर्धारित दर से अधिक वसूल की गई राशि को विभाग में जमा करा देने पर उक्त प्रकरणो का ब्याज माफ किया जावेगा।

3. राजकीय व अर्द्धशासकीय विभागों के निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों द्वारा दिनांक 31.03.2015 तक की अवधि में बगैर एस.टी.पी. लिये निर्माण करने, एस.टी.पी. से अधिक मात्रा में खनिज उपयोग करने, बोरो लैण्ड के प्रकरणों में खनिज की निर्धारित रॉयल्टी का एक से तीन गुणा (प्रकरण अनुसार) जमा कराने पर शास्ति व ब्याज माफ किया जायेगा।

नोट:– उक्त योजना अलवर एवं अजमेर के संसदीय क्षेत्र एवं माण्डलगढ (भीलवाडा) विधान सभा क्षेत्र को छोडकर सम्पूर्ण राज्य हेतु लागू है।

12-1-18

(डी.एस.मारू)
निदेशक